सं. 2/6/2009-स्था.(वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नई दिल्ली ; दिनांक : 25 फरवरी, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अंतर्गत संवर्ग बाह्य पदों और केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों की बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति ।

इस विभाग के दिनांक 05 जनवरी, 1994 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था.(वेतन-II) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की केन्द्र सरकार (राज्य सरकार के अंतर्गत संवर्ग बाह्य पदों और केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों की बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त विहित हैं । कार्यालय ज्ञापन के पैरा 8 में, संवर्ग बाह्य पदों के भर्ती नियमों में, निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा की अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया विहित है ।

2. अब प्रतिनियुक्ति की कार्यावधि के संबंध में दिनांक 05 जनवरी, 1994 के कार्यालय ज्ञापन के मौजूदा पैरा 8 (दिनांक 20 जून, 2006 के का. ज्ञा. सं. 2/29/91-स्था.(वेतन-II) के साथ पठित) को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

8. प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा की कार्यावधि

8.1 प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा की अवधि संवर्ग-बाह्य पद की भर्ती नियमावली के अनुसार होगी अथवा यदि संवर्ग बाह्य पद की कार्यावधि के लिए कोई कार्यावधि नहीं है, तो 3 वर्ष होगी ।

8.2 यदि संवर्ग बाह्य पद की भर्ती नियमावली में निर्धारित, प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा की अवधि 3 वर्ष अथवा कम है, तो प्रशासनिक मंत्रालय/उधार लेने वाले संगठन अपने सचिव (केन्द्र सरकार के मामले में)/मुख्य सचिव (राज्य सरकार के मामले में) /समतुल्य अधिकारी (अन्य मामलों में) के आदेश प्राप्त करके चौथे वर्ष तक प्रतिनियुक्ति की अवधि में विस्तार कर सकते हैं और पांचवें वर्ष के संबंध में उधार लेने वाले मंत्रालय/विभाग के मंत्री के अनुमोदन से और अन्य संगठनों के संबंध में, उस मंत्रालय/विभाग के मंत्री के अनुमोदन से, जिसके प्रसासनिक नियंत्रण में वह विभाग कार्य कर रहा है, प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृद्धि कर सकते हैं ।

8.3 उधार लेने वाले मंत्रालय/विभाग/संगठन, पांचवें वर्ष तक प्रतिनियुक्ति की अवधि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उन मामलों में बढ़ा सकते हैं, जहाँ ऐसा करना लोक हित में अति आवश्यक हो :-

(i) जहाँ प्रतिनियुक्ति की कार्यावधि में ऐसी वृद्धि दी जाती है, यह इस शर्त के अध्यधीन होगी कि यदि संबंधित अधिकारी ने प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेने का विकल्प दिया है, तो उसे चौथे वर्ष के पश्चात् कोई प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

(ii) प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृद्धि, उधार देने वाले संगठन के पूर्वानुमोदन, संबंधित कर्मचारी की सहमति और जहां कहीं आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के अध्यधीन होगी ।

(iii) यदि उधार लेने वाला संगठन, निर्धारित अवधि के पश्चात् अधिकारी को अपने पास रखना चाहता है, तो यह उधार देने वाले संगठन, संबंधित अधिकारी की सहमति लेने की कार्रवाई, उसकी कार्यावधि समाप्त होने से छः माह पूर्व शुरु करें । किसी भी मामले में यह किसी भी अधिकारी को स्वीकृत कार्यावधि के पश्चात् अपने आप पास तब तक न रखे, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यावधि को आगे बढ़ाने का अनुमोदन न मिल जाए । इसके पश्चात् कार्यावधि को और बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाए ।

8.4 प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा की प्रत्येक अवधि के पश्चात् संयुक्त सचिव स्तर तक के अधिकारियों के लिए 3 वर्ष और अपर सचिव स्तर के पदों के लिए एक वर्ष की आवश्यक 'कूलिंग ऑफ' अवधि होगी ।

8.5 केन्द्र सरकार का कोई कर्मचारी, राज्य सरकार/राज्य सरकार के संगठनों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के संगठनों/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/स्वायत्त निकायों, न्यासों, सोसायटियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जो केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं हैं, में प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा के लिए तभी पात्र होगा, जब उसने सेवा के 9 वर्ष पूरे कर लिए हों और उसे सतर्कता दृष्टिकोण से अनापत्ति प्राप्त है और उसने पिछले पाँच वर्ष में उधार लेने वाले संगठन के साथ कोई, किसी तरह का लेन-देन नहीं किया हो । इस तरह की प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा केन्द्र सरकार के कर्मचारी की पूरी सेवा में 7 वर्ष की अधिकतम अवधि तक सीमित होगी ।

8.6 यदि प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा की अवधि के दौरान, संबंधित अधिकारी, उनसे कनिष्ठ अधिकारी के पदोन्नत अथवा अपग्रेड हो जाने के नियम के अनुसार (नैक्स्ट बिलो रूल) अपने मूल संवर्ग में प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त कर लेता है, तो संबंधित अधिकारी, संवर्ग बाह्य पद की तुलना में अपने मूल संवर्ग में उच्चतर वेतनमान/वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन का हकदार हो जाता है, तो उसके पास यह विकल्प होगा कि या तो वह शेष अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पद पर बना रहे (प्रोफार्मा पदोन्नति/अपग्रेडेशन का लाभ न उठाकर) अथवा छः माह की अवधि के भीतर अपने मूल संवर्ग में वापस लौट जाए । यदि अधिकारी प्रतिनियुक्ति पद पर ही बना रहना चाहता है, तो प्रोफार्मा पदोन्नति/अपग्रेडेशन के आधार पर कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और वह वही वेतन लेता रहेगा, जो उसे मिल रहा था ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)
निदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग (संलग्न मानक सूची के अनुसार)

संख्या 2/6/2009-स्था.(वेतन-II) दिनांक : 25 फरवरी, 2009

प्रति प्रेषित :- निदेशक (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को, "स्थापना वेतन" शीर्षक और 'प्रतिनियुक्ति' उप-शीर्षक के अंतर्गत इस विभाग की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को रखने के लिए ।

प्रति निम्नलिखित को भी प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और उसके नियंत्रणाधीन सभी राज्य । (400 अतिरिक्त प्रतियाँ)
2. लेखा महा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/चुनाव आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से.प्रभाग)/जे.सी.ए./प्रशासन अनुभाग ।
5. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय ।
6. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
8. जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
10. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
11. 50 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)
निदेशक